रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022026-270451
CG-DL-E-25022026-270451

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 936] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947
No. 936] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

का.आ. 980(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5266(इ) तारीख १८ नवंबर २०२५, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के बैंगलोर अर्बन जिले में NH7 के कि.मी. 534.72 से कि.मी.556.84 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 04/12/2025 को "थे टाइम्स ओएफ इंडिया [इंग्लिश]" , 04/12/2025 को "सम्युक्त कर्नाटक" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और जबकि सक्षम प्राधिकरण ने धारा 3-C के तहत कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं की हैं

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के बैंगलोर अर्बन जिले में NH7 के कि.मी. 534.72 से कि.मी.556.84 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: बैंगलोर अर्बन		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बेंगलुरु नार्थ					
गांव का नाम:					
1	३३	निजी (निजी)	कृषि	0.166933	1. बसम्मा डबल्यू/ओ लेट बी पी शांथप्पा, 2. मिनिस्ट्री ओएफ डिफेंस एआईआर फोर्स स्टेशन 33
			कुल योग	0.166933	

[फा. सं. NHAI/Tech/NS-2/LA/KNT-2/2008/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2026

S.O. 980(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Notification no. S.O.5266(E), Dated:18th November 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH7 in the stretch of land from Km. 534.72 to Km. 556.84 in the district of Bangalore Urban in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in Newspapers “The Times of India” dated 04/12/2025 and “Samyukta Karnataka” dated 04/12/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has not received any objections filed under Section 3-C

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH7 in the stretch of land from Km. 534.72 to Km. 556.84 in the district of Bangalore Urban in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			**District: Bangalore Urban**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Bengaluru North					
Village: Sonnappanahalli					
1	33	Private	Agriculture	0.166933	1. Basamma W/o Late B P Shanthappa, 2. Ministry Of Defence Air Force Station 33
			Total	**0.166933**	

[F. No. NHAI/Tech/NS-2/LA/KNT-2/2008/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.02.25 14:20:44 +05'30'